



No.CSB-29/GPF/2016-17/BS/CASH

Date: 17th Dec. 2019

CIRCULAR

Sub: Forwardal of PRS GPF back up data - PRS TEXT file i.e., [LDAT.ZIP] –
regarding

All the units were requested for forwarding PRS.TEXT file i.e., LDAT.ZIP to gpf.csb@nic.in or gpfcsb@gmail.com on the last working day of each month [after generating salary] for posting of GPF subscription / recovery without fail. However, of late, it has been observed that some of the Units are not forwarding the LDAT.ZIP file in time as per the clear-cut guidelines issued by Central Office which causes avoidable delay in posting of GPF subscription / recovery and also it becomes extremely difficult to prepare GPF schedule intime and to post the same into the respective employees' account. In this connection, it may please be noted that incase the said file is not received by this office every month, it becomes extremely difficult to process GPF posting timely.

Further, it is also observed that some of the amounts have been credited to CSB General Provident Fund Account, for which details of credits have not been received. Hence, the said amount could not be posted to the respective employee's account and kept under suspense account. Therefore, it is once again informed that incase of any refund of outstanding GPF subscription / loan recovery / refund of loan amount etc., are remitted then the details of the same may be intimated immediately to Central Office by way of email / fax followed by a letter containing all the required details such as:

- i) Name of the Unit remitting the amount.
- ii) From whom the amount is received at the Unit.
- iii) Name of the Bank & Branch and the date of remittance etc.,

[CA MANOHARAN A]
JOINT DIRECTOR [FINANCE]

To:

CSB delegated units



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला, बेंगलूर
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala, Bangalore - 560068

सं. केरेबो-29/साभनि/2016-17/बिअ/रोकड

दिनांक : 17.12.2019

परिपत्र

विषय : पीआरएस जीपीएफ बैकअप डॉटा - पीआरएस टेस्ट फाइल अर्थात् (एलडीएटी जिप) का अग्रेषण के संबंध में।

प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को पीआरएस टेस्ट फाइल अर्थात् एलडीएटी जिप gpf.csb@nic.in or gpfcsb@gmail.com को अग्रेषित करने के लिए सभी इकाईयों से अनुरोध किया था ताकि सामान्य भविष्य निधि अंशदान/वसूली को अनिवार्य रूप से पोस्टिंग/प्रस्तुत किया जा सके। तथापि, देर से यह देखा गया है कि केंद्रीय कार्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से जारी किया गया दिशा-निर्देश के अनुसार, कुछ इकाईयाँ एलडीएटी जिप फाइल अग्रेषित नहीं कर रहा हैं जिस के कारण सामान्य भविष्य निधि अंशदान/वसूली के आँकड़े पोस्ट करने में अनिवार्य रूप से देर हो रही है और समय पर साभनि सूची तैयार करने में और इसे संबंधित कर्मचारी के खाते में पोस्ट करने में अत्यंत कठिन हो रहा है। इस संबंध में, कृपया यह नोट करें कि अगर उक्त फाइल प्रति माह इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर, समय पर साभनि पोस्टिंग कार्य पूरा करना अत्यंत कठिन हो जाएगा।

आगे, यह भी देखा गया है कि कुछ राशियाँ केरेबो सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा (क्रेडिट) हो गई हैं, जिस जमाओं (क्रेडिट) का विवरण प्राप्त नहीं किया है। अतः, उक्त राशि को संबंधित कर्मचारियों के खाते में पोस्ट नहीं कर पाएं और उचित खाता (सस्पेन्स एकाउंट) में रखा गया। अतः, फिर से सूचित किया जाता है कि अगर किसी बकाया साभनि अंशदान की वसूली/ऋण की वसूली/ऋण की राशि की वसूली आदि भेजी गई हो तो, इसका विवरण ई-मेल/फैक्स द्वारा केंद्रीय कार्यालय को तुरंत सूचित करें और निम्नानुसार आवश्यक विवरण के साथ पत्र केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित करें।

1. राशि भेजने वाले इकाई का नाम।
2. इकाई में जिस कर्मचारी से राशि प्राप्त हुई है।
3. बैंक एवं शाखा का नाम और राशि भेजने की तारीख आदि।

डा. मनोहरन

(सी ए मनोहरन ए)
संयुक्त निदेशक (वित्त)

सेवा में

केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रत्यायोजित इकाईयाँ।